संख्या ओ० एम०/ई-2-016/74 799

बिहार सरकार;

कार्मिक विभाग;

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा ।

पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 74।

विषय :—तेनुघाट बांध प्रमंडल के अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1557, दि० 7-9-74 का निर्देश करते हुए मुझे कहना है कि हेल्पर, वर्क सरकार, माली, चौकीदार, टाइमकीपर लिपिक वगैरह सामान्य श्रेणी (General) में आते हैं। इन्हें शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लिपिक आदेशपाल वगैरह के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिये एवं उन्हें तकनीकी कहकर छोड़ नहीं दिया जाय/शेष 7 या 8 तकनीकी कर्मचारी यदि डोजर एवं ट्रैक्टर आपरेटर या ड्राइवर का काम करने योग्य हों तो उन्हें ड्राइवर के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति दी जा सकती है। कृपया इसकी जानकारी आप सम्बन्धित पदाधिकारियों को दें।

विश्वासभाजन,
ह०/– कीर्ति नारायण
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-016/74 799 /पटना, दिनांक 16 नवम्बर, 1974 ।

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारियों को तेनुघाट बाँध परियोजना के अतिरेक कार्यभारित कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित ।

ह०/– कीर्ति नारायण
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/ई 2-018/74 758/पटना, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी/चेयरमैन, गंडक क्षेत्र विकास प्राधिकार मुजफ्फरपुर चेयरमैन कोशी क्षेत्र विकास प्राधिकार सह/ चेयरमैन सोन क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित। प्रतिलिपि श्री सिंहेश्वर सहाय, सिंचाई आयुक्त को उनके ज्ञापांक 12688 दिनांक 24-8-74 के प्रसंग में सूचनार्थ। अनुरोध है कि वे कृपया की गयी कार्रवाई से अवगत कराएं।

ह०/(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

संख्या ओ० एम०/ई-2-020/74 788

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

प्रेषक :—

श्री कीर्ति नारायण,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में;

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना, दिनांक 11 नवम्बर, 1974।

विषय :—तेनुघाट बांध योजना के 1657 अतिरेक कार्यभारित कर्मचारियों को बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्यान्य विभागों में समायोजन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे मुख्य सचिव के पत्र संख्या 758 दिनांक 17 अक्टूबर 1974 के प्रसंग में सूचित करना है कि अभी तक किसी भी विभाग या विभागाध्यक्ष से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ, जबकि अनेक जिलाधिकारियों ने ऐसा सूचित किया है कि तकनीकी विभागों में उपर्युक्त विषयक निदेशों की अवहेलना करते हुए नियुक्तियाँ की जा रही हैं एवं तेनुघाट के अतिरेक तकनीकी कर्मचारियों का समायोजन करने की ओर दिलचस्पी नहीं ली गयी। इस सम्बन्ध में सिंचाई आयुक्त, बिहार सरकार पटना को प्रेषित, पत्र संख्या 787 दिनांक 9-11-74 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है जिससे पूरी बातें स्पष्ट होंगी और यह भी स्पष्ट होगा कि अभीतक सभी विभागों/विभागाध्यक्षों ने अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उचित निदेश नहीं भेजा है। अनुरोध है कि इसकी आवश्यक जाँच-पड़ताल की जाय एवं सभी क्षेत्रीय विभागों को उचित निदेश भेजे जायँ ताकि तेनुघाट के अतिरेक कर्मचारियों का सामंजन हो सके एवं जबतक सामंजन पूरा नहीं होता है तबतक किसी दूसरे व्यक्ति की लगभग समान पदों पर नियुक्ति नहीं की जाय एवं जिन नियुक्तियों में इन निदेशों की अवहेलना की गयी है उन्हें रद्द किया जाय तथा नियुक्ति पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाय। इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन मुख्य सचिव के सूचनार्थ शीघ्र भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
ह०/—कीर्ति नारायण
सरकार के उप सचिव।